प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5

लखनऊ दिनांक 28 अप्रैल, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगर पंचायत, केराकत, जनपद जौनपुर के लिए पेयजल योजना के सम्बन्ध में द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि की स्वीकृति हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, जौनपुर के पत्र संख्या-2995/नगर पंचा0केराकत, दिनांक-12.12.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, केराकत,, जनपद जौनपुर के लिए पेयजल योजना सम्बन्धी कार्यों हेतु निर्धारित लागत रू0 53.33 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-6499/नौ-5-2014-172बजट/2014, दिनांक-19.12.2014 द्वारा रू0 26.66 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है, का उपभोग हो जाने के दृष्टिगत परियोजना की अवशेष धनराशि रू0 26.67 लाख (रू0 छब्बीस लाख सरसठ हजार मात्र) को द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) संदर्भित कार्यों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-6499/नौ-5-2014-172बजट/2014, दिनांक-19.12.2014 द्वारा निर्धारित शर्तो/ प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी/उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा। अवशेष धनराशि परियोजना के पूर्ण होने तथा कम्पलीशन सर्टीफिकेट उपलब्ध कराने के उपरांत अवमुक्त की जा सकेगी।

(4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगम नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

-2/

go finance mangal font

(8) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो को किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव ।

संख्या-113 /2016-1399 (1)/नौ-5-16-172बजट /2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/जौनपुर।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- वित्त (ई-8) अनुभाग/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग- 3/4
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (वा0 क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, वाराणसी।
9- अधिशासी अभियंता, निर्माण ईकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, केराकत,, जनपद जौनपुर ।
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-28/04/2016

प्रेषण संख्या:- 113

आवंटन आदेश संख्या:- 001-113-2016-1399-9-5-16-172B-14

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

01 - जलपूर्ति

193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय निकायों के कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान	2667000	2667000
		प्रगामी	40134000	40134000
	योग	वर्तमान	2667000	2667000
		प्रगामी	40134000	40134000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छब्बीस लाख सरसठ हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ एक लाख चौंतीस हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी